न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री दिवांशु शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रार्थना पत्र

प्र. सं. 02/2020

बउनवान

देवकरण पुत्र श्री देव्या जाति धाकड निवासी इकलेरा तहसील बारां जिला बारां

प्रार्थी

बनाम

1. रूपनारायण पुत्र मदनलाल जाति धाकड
2. दुर्गाशंकर पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड
3. परमानन्द पुत्र रामगोपाल जाति धाकड, निवासीगण इकलेरा तह0 व जिला बारां

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित:– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II प्रार्थी

2. श्री हरिओम चर्तुवेदी एड0 अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 31.03.2021

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां की आराजी जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या नया 146 पुराना 130 की आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 0.06 है0 किस्म खेडा खसरा नम्बर 599 रकबा 0.03 है0 किस्म खेडा, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.03 है0 खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 किस्म खेडा, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.06 है0 किस्म खेडा कुल 5 किता कुल रकबा 0.26 है0 स्थित है। जिसमें से खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 विवादित आराजियात है। ग्राम इकलेरा की आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 पर पूर्व में भी अप्रार्थी कम 2 व 3 द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया व अस्थाई निर्माण किये जाने लगा तो प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां के यहां एक वाद कमांक 95/2012 बउनवान देवकरण बनाम परमानन्द प्रस्तुत किया जो आपसी समझाईश व लोक अदालत की भावना से इस आधार पर राजीनामा अनुसार वापस लिया गया कि अप्रार्थी कम 2 व 3 अस्थाई

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

र्माण को हटा लेगें और प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण पैमाईश होने पर प्रार्थी की आराजियात के छोड देगें इस शर्त पर प्रार्थी द्वारा दावे को वापस लिया गया। उक्त वाद को दिनांक 26.05.2017 को लोक अदालत केम्प इकलेरा में वापस लिया गया है। प्रार्थी को संयुक्त खातेदारी की आराजियात में से यह खातेदारान के मध्य आपसी बंटवारे के मुताबिक हिस्से में खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 प्राप्त हुआ है इसलिये सहखातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थी के बाहमी बंटवारे के हिस्से अनुसार प्राप्त हुई आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है पर अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा होने दिनांक 2605.2017 के बावजुद आज तक अस्थाई निर्माण नहीं हटाया है व स्थाई निर्माण करने पर आमादा है इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी एवं स्वामित्व व आपसी बटवारे से प्राप्त आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 पर अप्रार्थीगण को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त कर सकने का एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर जबरन ताकत व लट्ठ के बल पर नीवें खुदवाकर उनको भरवाना शुरू कर दिया है। प्रार्थी द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हुये व गाली गलोच की अप्रार्थीगण प्रभावशाली व झगड़ालु प्रवृत्ति के है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि ग्राम इकलेरा की आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 में किसी भी प्रकार का ताफैसला वाद निर्माण कार्य नहीं करे न किसी प्रकार की मौके की स्थिति में परिवर्तन करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी कम 01 बावजुद सूचना अनुपस्थित होने पर उसके विरूद्ध एक पक्षिए कार्यवाही की गई। शेष अप्रार्थी कम 02 व 03 की ओर से जरिये अभिभाषक द्वारा जवाब/शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की चरण कम 01 में वर्णित आराजी कुल 5 किता रकबा 0.26 है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे वर्णित अनुसार स्वीकार है, और कथन है कि उक्त आराजी किस्म खेडा है और आबाद है। जिस पर बिरधीलाल पुत्र गजानन्द काबिज है। प्रार्थना पत्र मिथ्या, बनावटी, निराधार होने व पूर्व वाद संख्या 95/2012 में हुये राजीनामा दिनांक 26.05.2017 से असंगत होने से अस्वीकार है। अपितु कथन है कि अप्रार्थी कम 02 व 03 के पिताओं ने अपने कब्जे एवं आधिपत्य के बाढे में चारा एवं कृषि उपकरणों के रख रखाव हेतु 47 वर्ष पहले निर्माण करवाया था। तबसे उक्त विवादित स्थल बाडा अप्रार्थी कम 02 व 03 के पूर्वजों सहित उनके कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। कम 01 में वर्णित आराजी कुल 5 किता क्षेत्रफल 0.26 है0 में प्रार्थी देवकरण का मात्र 01/18 हक एवं हिस्सा है। संयुक्त खाते की विवादित आराजी के सभी सहखातेदारों को वाद/प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया, जिस कारण प्रार्थना पत्र/वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने से प्रार्थना पत्र/वाद प्रार्थी निरस्तनीय है। आराजी खसरा नम्बर 601 क्षेत्रफल 0.08 है0 दिनांक 26.05.2017 के राजीनामा हुये प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा नम्बर 597 क्षैत्रफल 0.

उप खण्ड अधिकारी
बारां

06 है0 भिन्न आराजियात है। पूर्व वाद संख्या 95/2012 को प्रार्थी ने वापस लिया था इस कारण प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 04 में वर्णित कथन मिथ्या, बनावटी एवं निराधार होने से अस्वीकार है, अपितु कथन है कि संयुक्त खाते की आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इस वाद में खसरा नम्बर 601 क्षेत्रफल 0.08 है0 आराजी को आपसी बंटवारे में प्राप्त होना व पूर्व वाद संख्या 92/2012 में खसरा नम्बर 597 क्षेत्रफल 0.06 है0 आराजी को पारिवारिक विभाजन में प्राप्त होने का असंगत कथन किया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का 1/18 हिस्सा प्रार्थी का है। इस कारण प्रार्थी को अन्य संयुक्त खातेदारों के हक हिस्सा आराजी बाबत वाद पेश करने को अन्य संयुक्त खातेदारों के हक हिस्सा आराजी बाबत प्रार्थना पत्र/वाद पेश करने का (लोकस स्टेण्डाई) वादाधिकार नहीं है। वाद वादाधिकारहीन होने से वाद प्रार्थी निरस्तनीय है, प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी क्रम 02 व 03 अपने पूर्वजों सहित बहैसियत मालिक स्वामी उक्त बाडे का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया एवं ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य एवं हक हकुकों का हनन होगा। जिसका मुद्रा में मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है।

विशेष आपत्तियां

1. अप्रार्थी क्रम 02 व 03 के पूर्वजों बलराम, जगन्नाथ, गोपाल, घांसीलाल ने लगभग 47 वर्ष पूर्व सहणा जी की 13 बीघा आराजी क्रय की थी। उक्त आराजियात में सहणा जी का बाडा था। उक्त बाडे पर पूर्वज गोपाल व जगन्नथ व घांसीलाल ने भूसा एवं कृषि उपकरण रखने हेतु मकान निर्मित करवाया, तभी से उक्त बाडे में अप्रार्थी क्रम 02 व 03 अपने पूर्वजों सहित बाडे का उपयोग करते चले आ रहे है।
2. उक्त बाडे का अप्रार्थी क्रम 02 व 03 के पूर्वजों ने 47 वर्ष पूर्व निर्माण करवाया। जिनमें काफी धन खर्च किया एवं उक्त बाडे में पप्पू मण्डोला से ट्युबवेल लगवाया।
3. अप्रार्थी क्रम 02/03 एवं चन्द्रप्रकाश ने जून 2012 में उक्त बाडे का अप्रार्थी क्रम 01 से सौदा कर लिया था। उक्त सौदा प्रार्थी द्वारा वाद संख्या 95/2012 अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश करने पर निरस्त हो गया।
4. प्रार्थना पत्र/वाद में विवादित बाडा किस्म खेडा है जो आबादी क्षेत्र में स्थित है और आबाद है। उक्त बाडा वर्तमान में रिहायशी उपभोग में चला आ रहा है। आबादी भूमि की सुनवायी का राजस्व न्यायायल को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र/वादा प्रार्थी श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

हमने बहस प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां की आराजी जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या नया 146 पुराना 130 की आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 0.06 है0 किस्म खेडा खसरा नम्बर 599 रकबा 0.03 है0 किस्म खेडा, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.03 है0 खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 किस्म खेडा, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.06 है0 किस्म खेडा कुल 5 किता कुल रकबा 0.26 है0 स्थित है। जिसमें से खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 विवादित आराजियात है। ग्राम इकलेरा की आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 पर पूर्व में भी अप्रार्थी क्रम 2 व 3 द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया व अस्थाई निर्माण किये जाने लगा तो प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां के यहां एक वाद क्रमांक 95/2012 बउनवान देवकरण बनाम परमानन्द प्रस्तुत किया जो आपसी समझाईश व लोक अदालत की भावना से इस आधार पर राजीनामा अनुसार वापस लिया गया कि अप्रार्थी क्रम 2 व 3 अस्थाई निर्माण को हटा लेगें और प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण पैमाईश होने पर प्रार्थी की आराजियात के छोड देगें इस शर्त पर प्रार्थी द्वारा दावे को वापस लिया गया। उक्त वाद को दिनांक 26.05.2017 को लोक अदालत केम्प इकलेरा में वापस लिया गया है। प्रार्थी को संयुक्त खातेदारी की आराजियात में से यह खातेदारान के मध्य आपसी बंटवारे के मुताबिक हिस्से में खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 प्राप्त हुआ है इसलिये सहखातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थी के आपसी बंटवारे के हिस्से अनुसार प्राप्त हुई आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है पर अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा होने दिनांक 2605.2017 के बावजुद आज तक अस्थाई निर्माण नहीं हटाया है व स्थाई निर्माण करने पर आमादा है इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी एवं स्वामित्व व आपसी बटवारे से प्राप्त आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 पर अप्रार्थीगण को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त कर सकने का एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है। अप्रार्थीगण के पास 47 वर्ष पुराना कोई दस्तावेज नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि ग्राम इकलेरा की आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.08 है0 में किसी भी प्रकार का ताफैसला वाद निर्माण कार्य नहीं करे न किसी प्रकार की मौके की स्थिति में परिवर्तन करे।

अप्रार्थी क्रम 02 व 03 के अभिभाषक ने दौराने बहस अप्रार्थी क्रम 02 व 03 के पूर्वजों बलराम, जगन्नाथ, गोपाल, घांसीलाल ने लगभग 47 वर्ष पूर्व सहणा जी की 13 बीघा आराजी क्रय की थी। उक्त आराजियात में सहणा जी का बाडा था। उक्त बाडे पर पूर्वज गोपाल व जगन्नाथ व घांसीलाल ने भूसा एवं कृषि उपकरण रखने हेतु मकान निर्मित करवाया, तभी से उक्त बाडे में अप्रार्थी क्रम 02 व 03 अपने पूर्वजों सहित बाडे का उपयोग करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र/वाद में विवादित बाडा किस्म खेडा है जो आबादी क्षेत्र में स्थित है और आबाद है। उक्त बाडा वर्तमान में रिहायशी उपभोग में चला आ रहा है। आबादी भूमि की सुनवायी का राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रार्थना

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

पत्र/वादा प्रार्थी श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त बाडे का अप्रार्थी क्रम 02 व 03 के पूर्वजों ने 47 वर्ष पूर्व निर्माण करावाया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया एवं ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य एवं हक हकुको का हनन होगा। जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय विशेष हर्जा खर्जा सहित निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि की किस्म खेडा है जो कि आबादी क्षेत्र से सम्बंधित है तथा पूर्व मे भी इन्हीं आराजियात बाबत लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही करना न्यायोचित नही समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner